तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
५/११/१७	पत्रावली आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 11/12/17 को पेश हो।
11/12/2017	पत्रावली आज पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण गैर हाजिर। वादी को वादी व अधिवक्ता प्रार्थीगण वादी को अदालत द्वारा आवाज लगाने के उपरान्त हाजिर नहीं हुए। प्रकरण में वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं किये है। वादी आज भी गैर हाजिर है। वादी द्वारा समय पर अदालत के आदेशानुसार तामिले पेश नहीं करना एवं बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना, यह अपने आप में वादी का यह वाद पत्र के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। इस संबंध में आदेश 9 नियम 2,5 CPC में स्पष्ट उल्लेख है कि "जहां वादी, सम्मन तामील के बिना लौटने के पश्चात 7 दिवस तक नये सम्मन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है", वहां वाद को खारिज किया जाना। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी काफी अवसर देने के बावजूद सम्मन पेश नहीं किए है। उसके पश्चात भी वादी सम्मन पेश करने में असमर्थ रहा है और स्वयं वादी गैर हाजिर है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद को आदेश 9 नियम 2,5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.12.17 को खुले इजलास में सुनाया गया। (चम्पालाल जीनगर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.12.13 14:41:05 IST
Reason: SelfAttested